

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) ए.सी.पी/1992R - III/3023

दिनांक:- 31/3/23

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।

विषय :- तृतीय एसीपी प्रकरणों में कमी पूर्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों से निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्नांकित कमियाँ पाई गई है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	मेरिट/बैच सं.	आक्षेप का विवरण
1.	जगमोहन मीणा	469/92	एपीएआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2014-15 से 2016-17 अप्राप्त।
2.	रामू लाल मीणा	518/92	आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं है एवं ॥ एसीपी आदेश संलग्न नहीं है।

उक्त तालिका में अंकित बकाया एपीएआर प्रेषित करावें एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करावें। जिससे तृतीय एसीपी के प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही किया जा सकें।
संलग्न - निर्धारित प्रपत्र


(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र

में पद कार्यालय एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या थी:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

दिनांक

हस्ताक्षर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष

हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर

नाम

लिंग नम्बर

मैरिट संख्या

दूरभाष नम्बर

A-1D

संतोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद मैरिट संख्या ने उक्त घोषणा पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक को पूर्वाह्न/अपराह्न में कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक को देय हो गया है तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लंबित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे)।
2. सेवा पुस्तिका के अनुसार इन्हें ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सात वर्षों से नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं तथा इनकी सेवायें संतोषजनक हैं।
3. इन्होंने प्रथम पदोन्नति पद पर दिनांक को, द्वितीय पदोन्नति पद पर दिनांक को तथा तृतीय पदोन्नति पद पर दिनांक को मिली है।
4. इन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पद पर को दिनांक को फोरगो किया है।
5. इन्होंने पदोन्नति फोरगो नहीं की है।
6. ये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में लेवल में दिनांक से वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
7. इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि है।
8. कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला में अन्य सरकारी विभाग में की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण मय सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति के (स्पष्टीकरण दिनांक 30.10.2017 अनुसूची VI के बिन्दु संख्या 5(III) संलग्न है।
9. इन्हें प्रथम चयनित वेतनमान निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत की जा चुकी है। (आदेश प्रति संलग्न हैं)

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष

हस्ताक्षर मय मोहर